समाहरणालय, सहरसा
(जिला विधि शाखा)

आदेश

सी0डब्लू0जे0सी0 संख्या– 7162/08 मसोमात रतन कुमारी बनाम राज्य एवं अन्य दिनांक 20.03.2015 में पारित आदेश के आलोक में मसोमात रतन कुमारी ने एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया है। अभ्यावेदन में उल्लेख है कि आंगनवाड़ी सेविका के लिए चयन किये गये मेघा सूची क्रमांक– 01 पर मसोमात रतन कुमारी का नाम अंकित है। आवेदिका का चयन भी सेविका के पद पर किया गया। ग्राम पंचायत– शाहपुर के पत्रांक– 16 दिनांक 28.06.2007 से प्रशिक्षण हेतु नामांकन की सूचना उसे दी गई। बाद में तत्कालीन पंचायत सचिव मो0 खलील के द्वारा तत्कालीन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की मिलीभगत से मेधा सूची में उनसे नीचे आई श्रीमती गुंजन कुमारी, पति– अमरेन्द्र कुमार का चयन किया गया है। उनके द्वारा यह भी उल्लेख किया गया है कि मैपिंग पंजी, 2007 के क्रमांक–12 पर मेरे पति श्री सतीश यादव का नाम अंकित है। मेरा घर पोषक क्षेत्र के अन्तर्गत आता है। इस संबंध में ग्रामीणों से पूछा जा सकता है। उभय पक्षों को नोटिश निर्गत कर दिनांक– 11.07.2015 को अपना पक्ष रखने हेतु सूचित किया गया। मसोमात रतन कुमारी उपस्थित होकर उपर्युक्त अभ्यावेदन का समर्थन किया। गुंजन कुमारी के पति अमरेन्द्र कुमार ने उपस्थित होकर बताया कि उनकी पत्नी गुंजन कुमारी की मृत्यु हो गई है। केन्द्र पर सेविका का पद खाली होने पर कला देवी का चयन किया गया है। साथ ही बताया गया कि मसोमात रतन कुमारी पोषक क्षेत्र के बाहर की है। अतः इनका दावा निराधार है। इस संबंध में कार्यालय के पत्रांक 1229–2 दिनांक 18.05.2015, पत्रांक 2377–2 दिनांक 28.05.2015 से जांच प्रतिवेदन की मांग बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सत्तरकटैया से की गई। उन्होंने अपने पत्रांक– 110 दिनांक 13.06.2015 से जांच प्रतिवेदन भेजा है। इसमें अनुलग्नक के रूप में दिनांक– 21.03.2007 को चयन समिति की बैठक की कार्यवाही संलग्न किया है। चयन समिति की बैठक की कार्यवाही में यह उल्लेख है कि मेघा सूची में प्रथम स्थान प्राप्त करने वाली आवेदिका मसोमात रतन कुमारी, पति– सतीश यादव चयन हेतु सभी निर्धारित मानदण्डों को पूरा करती है। अतः इनके आवेदन को विचारार्थ रखा जाता है एवं विभागीय मार्गदर्शिका– 2783 दिनांक– 03.01.2006 के अनुसार सेविका पद हेतु मसोमात रतन कुमारी, पति– सतीश यादव के चयन की घोषणा की जाती है। इस बैठक की अध्यक्षता मुखिया, ग्राम पंचायत– शाहपुर के द्वारा की गयी। बैठक के पश्चात् बाल विकास परियोजना पदाधिकारी ने कार्यवाही पंजी में यह उल्लेख करते हुए कि मसोमात रतन कुमारी का निवास पोषक क्षेत्र से बाहर पड़ता है। इसके स्थान पर श्रीमती गुंजन देवी, पति– अमरेन्द्र कुमार का चयन किया गया। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का यह कृत्य गलत था। यदि उन्हें मसोमात रतन कुमारी के बारे में किसी प्रकार की शिकायत मिली थी तो निर्णय हेतु इसे चयन समिति की बैठक में रखना चाहिए था, जो उनके द्वारा नहीं किया गया।

उक्त केन्द्र की चयनित सेविका गुंजन कुमारी, पति– अमरेन्द्र कुमार की मृत्यु दिनांक 22.06.2008 को हो गई है, जिसके उपरान्त सेविका के चयन हेतु दिनांक 20.11.2009 को आम सभा की तिथि निर्धारित की गयी, जिसमें मसोमात रतन कुमारी का चयन सेविका के रूप में किया गया। चयन के विरूद्ध कला देवी के द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आई0सी0डी0एस0), सहरसा के पास आपत्ति दी गई, जिसकी सुनवाई कर कला देवी का चयन करने का आदेश जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आई0सी0डी0एस0), सहरसा के द्वारा पत्रांक 26–2 दिनांक 16.03.2010 से निर्गत किया गया। उक्त पारित आदेश के विरूद्ध आवेदिका मसोमात रतन कुमारी के द्वारा आयुक्त, कोशी प्रमण्डल, सहरसा के यहां अपील दायर किया गया। आयुक्त महोदय के द्वारा आदेश पत्रांक 903 दिनांक– 06.08.2010 के द्वारा जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

(आई0सी0डी0एस0), सहरसा के आदेश को निरस्त कर जिला पदाधिकारी, सहरसा के यहां Remand किया गया। जिला पदाधिकारी, सहरसा के द्वारा परित आदेश दिनांक 14.11.2011 के द्वारा मंजू देवी, पति– विद्यानंद कुमार यादव को चयनित करते हुए अपीलार्थी मसोमात रतन कुमारी के अपील आवेदन को खारिज किया गया। उक्त आदेश के विरूद्ध मसोमात रतन कुमारी ने आयुक्त महोदय के यहां पुनः अपील किया, जिसे दिनांक 08.12.2011 को खारिज किया गया। इस आदेश के विरूद्ध माननीय उच्च न्यायालय में रतन कुमारी के द्वारा C.W.J.C NO 22875/2011 एंव कला देवी द्वारा C.W.J.C NO 3262/2012 दायर किया गया।

C.W.J.C NO 3262/2012 में पारित न्यायादेश दिनांक 14.03.2012 से सचिव, समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना को उक्त मामलें में सुनवाई कर तर्कसंगत आदेश पारित करने का आदेश दिया गया। समाज कल्याण विभाग, बिहार, पटना द्वारा आवेदिका रतन कुमारी, कला देवी एवं मंजू देवी को सुनकर पत्रांक 2191 दिनांक 02.05.2012 को आदेश पारित किया गया, जिसके विरूद्ध कला देवी द्वारा M.J.C NO 4623/2012 दायर किया गया। जिसके आलोक में दिनांक 25.03.2014 को सचिव द्वारा ज्ञापांक 2057 दिनांक 25.03.2014 को आदेश पारित किया गया। इस आदेश में यह उल्लेख किया गया है कि आंगनवाड़ी सेविका/सहायिका चयन हेतु मार्गदर्शिका 2011 में इस आशय का संशोधन आई0सी0डी0एस0 निदेशालय के ज्ञापांक 2897 दिनांक 10.06.2013 द्वारा निर्गत है कि संबंधित प्रखंड के विभिन्न सरकारी सामग्रियों के विक्रेता (जैसे जनवितरण प्रणाली विक्रेता, घुमन्तु किरासन तेल विक्रेता) की मां, पत्नी, बहू एवं रिश्तेदार इस पद के लिए अयोग्य होंगे। (रिश्तेदार से अर्थ है मां, पत्नी, बहू, ननद, भाभी (अर्थात् बड़े एंव छोटे भाई की पत्नी), पुत्री, बहन)

चूंकि श्रीमती कला देवी के पिता स्व0 बलराम यादव मधेपुरा जिलान्तर्गत श्रीपुर पंचायत के डीलर थे, इनकी मृत्यु हो चुकी है।

आंगनवाड़ी केन्द्र, भेलाही, सहरसा जिले में है, अतएव कला देवी को मात्र उनके पिता के दूसरे जिला में डीलर होने के कारण आंगनवाड़ी सेविका के पद पर चयन से वंचित नहीं किया जा सकता है। उक्त आदेश के आलोक में जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (आई0सी0डी0एस0), सहरसा ने अपने ज्ञापांक– 661–2 दिनांक 02.05.2014 के द्वारा श्रीमती कला देवी, पति– सुधीर कुमार को चयन करने का आदेश दिया गया, तत्पश्चात् कला देवी कार्यरत है। कला देवी का मेधा सूची में प्रथम स्थान है, लेकिन उनका चयन इसीलिए नहीं किया गया कि उनके श्वसुर मधेपुरा जिला के श्रीपुर पंचायत में डीलर के रूप में कार्यरत थे। आंगनवाड़ी सेविका/सहायिका चयन हेतु निर्गत मार्गदर्शिका 2011 में संशोधन कर यह प्रावधान किया गया कि जिस प्रखंड के आंगनवाड़ी केन्द्र में सेविका/सहायिका का चयन किया जायेगा, उन प्रखंड के विभिन्न सरकारी सामग्रियों के विक्रेता के उपर वर्णित रिश्तेदार सेविका/सहायिका के रूप में चयनित नहीं होंगे। इस मामलें में कला देवी के श्वसुर मधेपुरा जिला के डीलर के रूप में कार्यरत थे, जिनकी मृत्यु हो चुकी है। सेविका/सहायिका के चयन हेतु निर्गत मार्गदर्शिका में हुए संशोधन के फलस्वरूप कला देवी अयोग्य नहीं मानी जायेगी। मेधासूची में प्रथम स्थान होने के कारण इनका चयन प्रावधान के अनुरूप है।

उक्त विवेचना के आधार पर मसोमात रतन देवी का अभ्यावेदन अस्वीकृत किया जाता है।

इसकी सूचना सभी संबंधितों को दी जाय।

23.7.2015

जिलाधिकारी,
सहरसा।

Confindential_Data25.07.15-5

ज्ञापांक 1869-2/जिला विधि शाखा, सहरसा, दिनांक 28-07-2015

प्रतिलिपि :— जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— बाल विकास परियोजना पदाधिकारी, सत्तरकटैया, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :— जिला सूचना—विज्ञान अधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं जिले के बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
विधि शाखा, सहरसा।
27.7.15